

बिहार विधान-सभा वादवृत्त ।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में बुधवार, तिथि १६ अप्रैल १९६१ को पूर्वाह्न ११ बजे उपाध्यक्ष श्री प्रभुनाथ सिंह के सभापतित्व में हुआ ।

श्री दीप नारायण सिंह—महाशय, मैं द्वितीय बिहार विधान-सभा के सप्तम् सत्र फरवरी से जून, १९५६ के २०४ अनागत तारांकित प्रश्नों के उत्तर जो समयाभाव के कारण सदन में नहीं दिये जा सके, सभा के मेज पर रखता हूँ । शेष प्रश्नों के उत्तर सचिवालय के विभागों से प्राप्त होने पर प्रस्तुत कराये जायेंगे ।

सूची ।

क्र. सं० ।	सदस्यों के नाम ।	प्रश्न संख्या ।
१	श्री सभापति सिंह	३०, ७०६, १६२६, १६६६, २८२७ ।
२	श्री कर्पूरी ठाकुर	३४, २४७, ४६४, ७३२, १७१०, २००२, २००६, २४४१, २८३७ ।
३	श्री घनंजय महतो	३७ ।
४	श्री रसिक लाल यादव	३८, १४०६, १६३६, २१४४, २१६३ ।
५	श्री रामानन्द सिंह	४१, २६५८ ।
६	श्री देवेन्द्र झा	२५३, ११५१, १६६० ।
७	श्री देवनन्दन प्रसाद	२७०, २३९०, २८३६ ।
८	श्री कार्यान्न्द शर्मा	२७२ ।
९	श्री जयनारायण झा "विनीत"	२८२ ।
१०	श्री रामस्वरूप प्रसाद यादव	४१६ ।
११	श्री कपिलदेव सिंह	४१६, ४८७, ११६२, १२३८, १७५१, १७८३, २४३२, २६८० ।

पुल की मरम्मत।

२७९७। श्री लखन लाल कपूर—क्या मंत्री, स्थानीय स्व-शासन विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि किशनगंज (पूर्णिमा) रमजान नदी पर डेमार्केट तथा चुडीपट्टी के निकट के दोनों पुल की दशा खतरनाक हो चुकी है;

(२) यदि खंड (१) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो दोनों पुल को नये सिरे से बनाने के लिए सरकार क्या करने जा रही है?

श्री मकबूल अहमद—(१) डेमार्केट के नजदीक जो पुल है, उसकी दशा खतरनाक हो चुकी है परन्तु चुडीपट्टी के नजदीक जो पुल है उसकी दशा उतनी खतरनाक नहीं क्योंकि इसकी मरम्मत दो साल पहले हुई थी।

(२) दोनों पुलों के पुनर्निर्माण का प्रश्न विचाराधीन है।

सड़क की मरम्मत।

२८००। श्री ब्रजनन्दन शर्मा—क्या मंत्री, स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि चम्पारण जिलाबोर्ड की एक सड़क जिसका नाम आदापुर स्टेशन फीडर रोड है, की लम्बाई एक माईल है जो आदापुर रेलवे स्टेशन से आदापुर अंचल होते हुए आदापुर पुलिस स्टेशन तक जाती है;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क की हालत बहुत खराब है जिससे लोगों की सवारी से आना-जाना बन्द हो गया है;

(३) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त एक माईल की सड़क को मरम्मत कराने के लिए चम्पारण जिलाबोर्ड को आदेश देने का विचार रखती है?

श्री मकबूल अहमद—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) सड़क की हालत अच्छी नहीं है परन्तु आवागमन बन्द नहीं है।

(३) सड़क की मरम्मत करने का प्रबन्ध बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। अतः सरकार द्वारा बोर्ड को आदेश देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

EXTENSION OF ROAD.

2806. Shri HARIHAR MAHTO : Will the Local Self-Government Minister be pleased to state—

(1) whether it is a fact that there is an important District Board Road, namely Bariarpur-Goawarighat road in Cheria Bariarpur P.S. of Monghyr district;